कार्ड संख्या 45733812115 , मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/378088, , एसबीआई बैंक के शाखा कठौती के खाता संख्या 510626179909 की बैंक डायरी , राशनकार्ड 008273601731, व आधारकार्ड संख्या 2934 2800 2631, मनरेगा जाब कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत कठौती द्वारा दिनांक 05.02.2021 की फोटो प्रति में प्रार्थी मोहनराम एवं मोटाराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय मोहनराम के स्थान पर मोटाराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि मोहनराम एवं मोटाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये मोहनराम के स्थान पर मोटाराम का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 133 में दर्ज खातेदार नाम मोहनराम के स्थान पर वास्तविक नाम मोटाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ज्याणी तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 133 खसरा नं. 62, 212 में दर्ज नाम मोहनराम के स्थान पर मोटाराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 11/01/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

11/01/22

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner